

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—एफ 15 (5) 2019/गोप्र/प्रमुवसं/

दिनांक:—

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32 में उल्लेखित अनुसूचित-1 के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.05.2020 की अभिशंषानुसार निम्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान 20800-65900 एल-5 (2400) में वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति/नवीन पदस्थापन उनके नाम के समक्ष अकिंत विवरण अनुसार किये जाने का आदेश प्रचलित किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सर्व श्री/श्रीमती	पिता का नाम सर्व श्री	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	नवीन पदस्थापन कार्यालय का नाम	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	भगवती देवी	सत्यनारायण जंगा	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	1.4.2019
2	नरेश	मेघसिंह	उप वन संरक्षक, धौलपुर	उप वन संरक्षक, धौलपुर	1.4.2019
3	मनोहर सिंह	माधोसिंह	उप वन संरक्षक, जोधपुर	उप वन संरक्षक वन्यजीव, जोधपुर	1.4.2019
4.	श्री भैरूलाल प्रजापत	लक्ष्मीनारायण प्रजापत	मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव उदयपुर	मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, उदयपुर	1.4.2019

सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारीगण इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति आदेश प्रसारित करने से पूर्व इनके सेवाभिलेख एवं मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों से यह सुनिश्चित कर लेवें कि ये कर्मचारी राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियम 32 में उल्लेखित अनुसूचि-1 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव की पूर्ति करते हैं। कृपया आवश्यक आदेश तत्काल जारी कर अवगत करावें।



(जी.वी.रेड्डी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)  
राज.जयपुर

क्रमांक:-एफ 15 (5) 2019/गोप्र/प्रमुखसं/4421-4434/सी

दिनांक:- 08/06/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि उक्त पदोन्नत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्तमान में जिस कार्यालय में पदस्थापित है उनके नियंत्रण अधिकारी उन्हें अविलम्ब पदोन्नति पर नवीन कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु भारमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा नवीन पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित कार्यालय सम्बन्धित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर दी गई उपस्थिति तिथि से इस कार्यालय को अवगत करावें। यदि कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदोन्नति उपरान्त कनिष्ठ सहायक के पद पर नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति देने को इच्छुक नहीं हो तो उनसे इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अविलम्ब अग्रेषित करने का कष्ट करावें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। पदोन्नति उपरान्त आवंटित कार्यालयाध्यक्ष पदोन्नत कर्मचारियों के सेवाभिलेख एवं मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों से यह सुनिश्चित कर लेवें कि ये कर्मचारी राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियम 32 में उल्लेखित अनुसूची-1 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव की पूर्ति करते हैं। यदि ये वांछित योग्यता/अनुभव की पूर्ति नहीं करते हो तो उनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये जाकर इस कार्यालय को अविलम्ब अवगत करावें।

1. मुख्य वन संरक्षक जोधपुर/भरतपुर/वन्यजीव उदयपुर/वन्यजीव जोधपुर।
2. निजी सहायक एवं मुख्य वन संरक्षक प्रावैधिक सहायक राजस्थान जयपुर।
3. वन संरक्षक प्रावैधिक सहायक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
4. उप वन संरक्षक जैसलमेर/धौलपुर/जोधपुर/वन्यजीव जोधपुर।
5. अध्यक्ष, राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ जयपुर/मंत्रालयिक समिति वन विभाग जयपुर।
6. कार्मिक स्ट्रेन्थ कार्यालय हाजा।
7. रक्षि पत्रावली।



(एच.के. सारस्वत)

उप वन संरक्षक (प्रस्था. अराजपत्रित),  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
राजस्थान, जयपुर